

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड THE NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Sr. No. AHM-0002288

Date: 29/09/2020

Branch Office: 202-203, Samruddhi Bldg, Opp. Sakar-III, Near Income Tax Circle, Ashram Road,

Ahmedabad Zip Code -380014

Ph: 079-27544893

Fax: 079-27540159

GOVERNMENT PURCHASE ENLISTMENT CERTIFICATE

Renewal Certificate (Valid From 18/09/2020 to 17/09/2022)

Ref.No NSIC/GP/RS/PMT/GUJ/D-124/13

Factory Address:

1 .19-20, GIDC Industrial Estate, KALOL GANDHINAGAR, GUJARAT -382725

M/s. DURGA TRACTORS
19-20, GIDC Industrial Estate, KALOL
GANDHINAGAR,
GUJARAT- 382725

Name of the Proprietor SAMARATHAN TAPARIYA

Constitution: Proprietorship

UAM GJ09A0000979

Enterprise Social Class:

Special Category:

GENERAL

GENERAL

GOVERNMENT PURCHASE REGISTRATION NO: NSIC/GP/AHM/2016/0022999

OVERNMENT PURCHASE OLD REGISTRATION NO: NSIC/GP/RS/PMT/GUJ/D-124

Monetary Limit: ₹ 356 lakhs (₹ Three Hundred Fifty Six Lakh Only)

TURNOVER (Rupees in Lakhs)

Financial Year	Annual Turnover	
2016-17	712.53	
2017-18	569.04	
2018-19	851.58	
Monetary Limit	356	


MSEs registered with NSIC are exempted from deposit of Earnest Money irrespective of value of Monetary Limit

Your name has been registered as a MSE Unit eligible for participation in the **Central Government Store Purchase Programme** as per the **Single Point Registration Scheme** for the following Item(s)/Store(s)/Service(s).

Name of the Store(s)/ Specification(s) Qualitative Capacity Quantitative Capacity P.M.

"As per List Attached" (2 item only)

Disclaimer:- The purchasing agencies are advised to satisfy themselves with the store details in the certificate while doing the Technical Evaluation stage before placing the tender/order on the units, certified by NSIC.





/ hal-

टिप्पणी:-

- 1. एनएसआईसी की एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयाँ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26.03.2012 को जारी की गयी अधिसूचना, जो कि 01.04.2015 से अनिवार्य हो गई है "सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश 2012" के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए निम्न लाभ पाने की पात्र हैं।
 - क. निःशुल्क टेण्डर।
 - ख. बयाना जमा राशि (ईएमडी) के भुगतान से छूट।
 - ग. टेंडर में भाग लेने वाले सूक्ष्म व लघु उद्यमों को एल—1+15% के मूल्य बैंड में उदृत दर करने पर कुल टेंडर वेल्यू का 20% तक अपेक्षित भाग की सप्लाई करने की भी सुविधा दी गई है लेकिन उसे अपनी दरें एल—1 पर रही गैर—सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की दर तक अपनी दर कम करने पर ही यह सुविधा मिलती है।
 - घ. प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अपनी कुल वार्षिक खरीद हेतु न्यूनतम 20% खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों या प्रदान की जाने वाली सेवाओं से किया जाने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 20% की खरीद की अपनी वार्षिक जरूरत में से 4% खरीद अनुसूचित जाति / जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों से की जानीनिर्धारित / ईयरमार्क की जाएगी। तारीख 26.03.2012 के पब्लिक प्रोक्योरमेट पॉलिसी आदेश के अनुसार 01.04.2015 से प्रोक्योरमेंट का समग्र लक्ष्य अनिवार्य कर दिया गया है।
 - ड. उपरोक्त के अलावा, 358 वस्तुएं केवल एमएसई इकाइयों से ही खरीदी जाने के लिए भी आरक्षित की गई है।
- 2. प्रोविजनल प्रमाण पत्र, जिसकी की वैधता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, को छोड़कर यह प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से दो वर्ष के लिए वैध है। पंजीकरण का नवीनीकरण दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। आपेक्षित शुल्क के साथ प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन पत्र प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेज सहित प्रमाण पत्र की समाप्ति के तारीख से छः माह पूर्व जमा किया जाए।
- 3. एनएसआईसी को यह पूरा और नितांत विवेकाधिकार होगा कि एनएसआईसी अथवा किसी दूसरे सरकारी विभाग की किन्हीं देय राशियों के भुगतान न करने की स्थिति में, तथा किसी सरकारी विभाग आदि से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकारी आपूर्ति कांट्रेक्ट की शर्तों को न मानने, सामान की आपूर्ति करने में असफल रहने या घटिया सामान अथवा सेवाएं देने, आदेश को पूरा करने में जानबूझकर विलंब करने या मना करने, सरकारी खरीद प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का हेर—फेर करने, जाली हस्ताक्षर, धोखाधड़ी, आवेदन पत्र में कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाने / गलत बयानी करने या किर सरकारी खरीद प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करने कोई सूचना छिपाने / गलत बयान करने और किर्य दूसरे कारण आदि के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि कारण अपित के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि स्वार्थ कारण अपित के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि स्वार्थ कारण अपित के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि स्वार्थ कारण अपित के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि स्वार्थ कारण अपित के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि स्वार्थ कारण अपित के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि स्वार्थ कारण अपित के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि स्वार्थ के स्वार्थ कारण अपित के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि स्वार्थ कारण अपित के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि स्वार्थ कारण अपित के स्वार्थ कारण अपित करने कि स्वार्थ कारण अपित करने के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रदद करा कि स्वार्थ कारण अपित करने कि स्वार्थ के स्वार्थ कारण अपित करने कि स्वार्थ कारण अपित करने कि स्वार्थ कारण करने कि स्वार्थ कारण अपित करने कि स्वार्थ कारण करने कि स्वार्थ करने कि स्वार्थ करने कि स्वार्थ कारण करने कि स्वार्थ करने कि स

NOTES:-

- 1. The units registered under Single Point Registration Scheme of NSIC are eligible to get the following benefits under "Public Procurement Policy for Micro & Small Enterprises Order 2012" as notified by the Government of India Ministry of Micro Small & Medium Enterprises, New Delhi vide Gazette Notification dated 26.03.2012, which has become mandatory w.e.f. 01.04.2015:
 - a) Issue of the Tender Sets free of cost;
 - b) Exemption from payment of Earnest Money Deposit (EMD),
 - c) In tender, participating Micro & Small Enterprises quoting price within price band of L1+15 percent shall also be allowed to supply a portion of requirement by bringing down their price to L1 Price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprise and such Micro and Small Enterprise shall be allowed to supply upto 20 percent of the total tendered value.
 - d) Every Central Ministries/Departments/PSUs shall set an annual goal of minimum 20 percent of the total annual purchases of the products or services produced or rendered by MSEs. Out of annual requirement of 20% procurement from MSEs, 4% is earmarked for units owned by Schedule Caste /Schedule Tribes (as per PPP Order dated 26.03.2012 overall procurement goal mandatory w.e.f. 01/04/2015).
 - e) In addition of the above, 358 items are also reserved for exclusive purchase from MSEs.
- 2. The certificate shall be valid for two years from the date of issuance except in case of provisional certificate validity of which shall be for the period of one year only from the date of issuance. Renewal of registration shall be granted for a period of 2 years. The application for renewal of the certificate along with the requisite fee has to be submitted before six months of the expiry date.
- 3. NSIC has the sole and absolute discretion to cancel this Enlistment Certificate on receipt of adverse report from any Government Departments regarding non-compliance of terms of contract awarded, tampering with GP Certificate, forging of signatures, cheating, suppression/misrepresentation of material facts in the application of any document submitted for obtaining the GP Enlistment Certificate or in the event of any amount unpaid to NSIC or any other Government amount or any other reasons etc.



राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड THE NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

5-NR-AHM-0002288

Authorised Signatory

Branch Office: 202-203, Samruddhi Bldg, Opp. Sakar-III, Near Income Tax Circle, Ashrami Road, 52

Ahmedabad Zip Code -380014

Ph: 079-27544893

Fax: 079-27540159

Website : www.nsic.co.in Email: boamd@nsic.co.in

Renewal Certificate (Valid From 18/09/2020 to 17/09/2022)

ANNEXURE TO GOVERNMENT PURCHASES ENLISTMENT CERTIFICATE

NO NSIC/GP/AHM/2016/0022999 D.T. 29/09/2020

ISSUED TO M/s. DURGA TRACTORS, GUJARAT

19-20, GIDC Industrial Estate, KALOL, GANDHINAGAR, GUJARAT-382725

Sno	Store(s)/ Service(s) Name	Specification(s)	Qualitative Capacity	Quantitative Capacity PM
1		Ref Code: IS:12097-1994	Depth Capacity Up to 2000Ft.	5Nos. OR
2	Solid Waste handling	Ref.Code.IS 11249:1985, IS:10859:1993 SAE - J732	Bucket Capacity : Up to 1.4 Cubic Mtr.	5Nos

Comments / Note

(Optional): RITES/NSIC-Durga Tractors W18090327 Dtd.16.10.201. (D-124)

M/s. DURGA TRACTORS

"Authenticity of the certificate can be checked through the web portal: www.nsicspronline.com"





TESTED

PATEL GOVT. OF GUJÁRAT. INDIA

